# राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, काँधनी, इटावा | स्थापना वर्ष— 21 जनवरी 2011



डा0निर्मल चन्द्र वाजपेई प्रधानाचार्य सतीश कुमार जिला समाज कल्याण अधिकारी इटावा।

महिमा मिश्रा उपनिदेशक, समाज कल्याण कानपुर मण्डल कानपुर । प्रणता ऐश्वर्या मुख्य विकास अधिकारी इटावा। अवनीश राय जिलाधिकारी इटावा।

### प्रस्तावना

समाज कल्याण विभाग की स्थापना वर्ष 1948—49 में हुई उस समय इस विभाग का नाम ''हरिजन सहायक विभाग' था। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को इसके पूर्व शिक्षा विभाग से कुछ शैक्षिक सुविधायें प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1940—41 ''रिक्लेमेशन विभाग'' के नाम से एक अलग विभाग संचालित था। इसका मुख्य कार्य उन जातियों का कल्याण था जो उस समय अपराध की ओर उन्मुख थीं समाज कल्याण विभाग व रिक्लेमेशन विभाग दोनों साथ—साथ कार्य करते थे एवं तत्पश्चात रिक्लेमेशन विभाग के समस्त कार्य हरिजन सहायक विभाग में ही सिम्मिलित कर दिया गया।

वर्ष 1955 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई जिसे वर्ष 1961 में अलग—अलग मानते हुये निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधीन कर दिया गया, सामन्जस्य तथा समन्वय की दृष्टि से अलग—अलग चल रहे हरिजन सहायक विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को वर्ष 1977—78 में सभी स्तरों पर विलीनीकरण कर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। 1991—92 में विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1995—96 में अल्प संख्यक, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों को समाज कल्याण विभाग से अलग कर दिया गया। इसके फलस्वरूप सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या 4056/वीस—ई 195—539 (2)/95— दिनांक 12 अगस्त 1995 द्वारा विभाग का नाम परिवर्तित करके अनुसूचित जाति/जनजाति एवं समाज कल्याण विभाग कर दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग का मूल उद्देश्य वर्तमान **सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप निर्बल वर्गों के चतुर्द्विक विकास की योजना बनाना एवं** उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है।

संविधान निर्माता डा० भीम राव रामजी अंबेडकर द्वारा कहा गया कि, "समाज के उत्थान के लिए शिक्षा ही इकलौता माध्यम हैं जिससे विकास किया जा सकता है, अर्थात शिक्षा व्यक्ति अथवा समाज की उन्नित की कुंजी है" इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्पूर्णानन्द ने 1960—61 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों व विमुक्त जातियों में शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न करने व घर के महौल से अलग रखकर शिक्षा प्रदान के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की।

आश्रम शब्द वैदिक काल की शिक्षा से लिया गया, जिसमें छात्र—छात्राओं को अपने घर से अलग रखकर शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसी तरह राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में छात्रों को घर से अलग रख कर शिक्षा का माहौल प्रदान किया जाता है। संवासी छात्रों को सभी सुविधाऐ समाज कल्याण विभाग उ०प्र० की ओर से पूर्णतया निःशुल्क प्रदान की जाती है।

#### राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के उद्देश्य:-

- 1. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का उद्देश्य है कि समाज के निम्न वर्ग आय से पिछड़े तबके को शैक्षणिक स्तर सुधार कर समाज की मुख्य धारा के समतुल्य लाना है। जिससे उक्त वर्ग अपना जीवन यापन सम्मानपूर्वक कर सकें और समता मूलक समाज की स्थापना हो ।
- 2. धुमन्तू, अपराधिक प्रवृत्ति व जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो गई है ऐसे निर्धन और बेसहारा लोगों के पाल्यों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है।
- 3. छात्र-छात्राओं का चहुँमुखी विकास करना।
- 4. शिक्षा के लिए अनुकूल व उपयुक्त वातावरण देना।

#### माध्यमिक शिक्षा को उन्नत करने में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की भूमिका-

सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र—छात्राओं को केन्द्र बिन्दु में रखकर राजकीय आश्रम पद्धित विद्यालयों की स्थापना हुई। ऐसे अभिभावक जो अपने पाल्य की प्रतिभा को निखारने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो, ऐसे कमजोर वर्ग के मेधावी छात्र—छात्राओं को संस्था में प्रवेश देकर उनके शैक्षणिक एवं सर्वागीण विकास में सन् 1960—61 से लगातार राजकीय आश्रम पद्धित विद्यालय योगदान दे रहा है। माध्यमिक शिक्षा को उन्नत करने में राजकीय आश्रम पद्धित विद्यालयों की भूमिका निम्नवत है—

- 1- 06 से 12 तक कक्षाओं का संचालन
- 2— प्रवेश प्रक्रिया
- 3– भौतिक संसाधन
- 4- भोजन की व्यवस्था

- 5— स्टेशनरी की व्यवस्था
- 6— ड्रेस की व्यवस्था शैक्षिक / शिक्षणेत्तर
- 7- विद्यालयों का प्रशासनिक ढांचा
- 8- स्वास्थ्य संबंधी सुविधाऐं
- 9- खेल-कूद सम्बन्धी, विकास
- 10- पाठ्यक्रम सहगामी कियाएं
- 11- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यों का विभाजन
- 12- छात्र-छात्राओं के चहुँमुखी विकास हेतु क्रियाएं
- 13— कौशल—विकास में भूमिका
- 14- पुस्तकालय

#### 1- 06 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन-

राजकीय आश्रम पद्धित विद्यालयों में 06 से 12 तक कक्षाएं संचालित हैं, प्रत्येक कक्षा में 70 छात्रों का प्रवेश लिया जाता है। कुल क्षमता 480 (40x12) है। शासनादेश संख्या:— 114 दिनांक:— 06.10.2015 में दी गयी व्यवस्था में कक्षा 01 से 05 तक की कक्षाओं का संचालन 2020—21 बन्द हो चुका है। वर्तमान में 06 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही है, प्रत्येक सेक्शन में 35—35 छात्रों का प्रवेश लिया जाएगा और कुल क्षमता 490 छात्रों की होगी। 2—प्रवेश प्रक्रिया— विद्यालयों में प्रवेश हेत निम्नलिखित आरक्षण की व्यवस्था की गई है—

क्र.सं.	वर्ग	प्रतिशत	छात्र सं0	ग्रामीण	शहरी
1.	अनुसूचित जाति / जनजाति	60 %	294	85 %	15 %
2.	पिछड़ा वर्ग	25 %	123	85%	15%
3.	सामान्य	15%	73	85%	15%
		योग	490	416	74

प्रदेश में कुल 102 विद्यालयों में 16 बालिका 4 स्वच्छकार व 9 अनुसूचित जनजाति के संचालित है। उ०प्र० में 16 जिले ऐसे है जिनमें कोई भी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित नहीं है। उ०प्र० सरकार अगले 5 वर्षो में सभी जिलों को सन्तृप्त करने का लक्ष्य है।

#### प्रवेश की अन्य शर्ते निम्नवत है-

- अ— अभिभावक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46080.00 रू० व शहरी क्षेत्रों के लिए 56460.00 रू० वार्षिक आय तक के मेधावी छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
- ब- ऐसे बच्चे जिनके माता व पिता में एक या दोनों की मृत्यू हो गई हो।
- स- बच्चे को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होता है।
- द— आधार कार्ड होना अनिवार्य है अन्य सभी शर्ते माध्यमिक विद्यालयों के अनुसार है।

#### 3- भौतिक संसाधन

सम्पूर्ण उ०प्र० में वर्तमान में कुल 102 राजकीय आश्रम पद्धित विद्यालय संचालित है जिसमें बालक वर्ग बालिका वर्ग में प्रत्येक विद्यालयों में 490 संवासी छात्र—छात्राओं के रहने के लिए होस्टल, डाइनिंग हाल, खेल का मैदान, शिक्षण के लिए पर्याप्त कक्ष उपलब्ध हैं। संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के लिए टाइप—4, टाइप—3, टाइप— 01 के आवास भी बने हुये हैं प्रत्येक वर्ष भवन के रखरखाव हेतु अनुरक्षण में पर्याप्त बजट भी उपलब्ध कराया जाता है। अतः विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त है और आवश्यकतानुसार शासन द्वारा माँग के अनुरूप अन्य निर्माण कराया जाता रहा है।

4— भोजन की व्यवस्था—राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में संवासी छात्रा—छात्राओं को निःशुल्क भोजन व्यवस्था कराई जाती हैं भोजन के लिए प्रति छात्र प्रतिमाह 2250 /— रू० खर्च किया जाता है। शासन द्वारा संवासी छात्रों के लिये भोजन का मीनू निम्नवत् निर्धारित है:—

#### पं दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (कॉधनी, इटावा) साप्ताहिक मैन्यू हरी सब्जियाँ, फल, मौसम व स्थानीय उपलब्धता के अनुसार देय दोपहर का भोजन फ्रट ब्रेक सायंकालीन रात्रिकालीन दिन 09.30 बजे प्रात: नाश्ता 01.30 बजे नाश्ता भोजन या दोपहर 12.30 बजे 07.00 बजे प्रात: 04.15 बजे 08.00 बजे स्थानीय व्यवस्थानुसार 2 3 4 6 सोमवार दूध, नमकीन अरहर दाल, एक अमरूद/ चाय, 04 नमकीन मिक्स दाल, आलू दलिया मौसमी आलू-सेम सब्जी केला, 50ग्राम बिस्कृट सोयावीन, टमाटर सब्जी के साथ रोटी चावल मूॅगफली सब्जी, रोटी चावल दूध मीठा राजमा, मंगलवार एक अमरूद/ चना दाल, बन्धा-चाय, 04 नमकीन हलवा/मीठी दलिया आलू गोभी सब्जी केला, 50ग्राम गाजर- मटर मिक्स बिस्कूट द्ध से निर्मित 125 ग्राम रोटी, चावल मूंगफली सब्जी रोटी चावल दूध, फ्राइड अरहर दाल, सोया एक अमरूद/ मुॅग धुली दाल बुधवार चाय, 04 नमकीन चना/अंक्रित मूंग मेथी-आल् सब्जी गोभी आलू, सूखी केला, 50ग्राम विस्कृट 50 ग्राम टमाटर प्याज के साथ रोटी चावल सब्जी, रोटी चावल मॅ्गफली द्ध, उबला चना कढ़ी, आलू फ्राईड मूँग साबुत, आलू एक अमरूद/ गुरुवार चाय, 04 नमकीन नीबू नमक के साथ सब्जी रोटी, चावल मटर, टमाटर सब्जी केला, 50ग्राम विस्कुट मूॅगफली रोटी चावल अरहर दाल, गाजर एक अमरूद/ दूध, 4 ब्रेड उर्द दाल, आल् शुक्रवार चाय, 04 नमकीन मटर, टमाटर सब्जी केला, 50ग्राम 10 ग्राम मक्खन बन्धा, सब्जी रोटी बिस्कुट रोटी चावल मुॅगफली चावल दूध, पोहा/उपमा मिक्स दाल, आलू एक अमरूद/ अरहर दाल, शनिवार चाय, 04 नमकीन पालक, सब्जी आल सेम सब्जी केला, 50ग्राम 150 ग्राम विस्कृट रोटी. चावल रोटी. चावल मॅ्गफली पनीर मटर (हरी) एक अमरूद/ तहरी/खिचडी चाय, 04 नमकीन रविवार द्ध, ब्रेड पकौडा पापड़, पूड़ी केला, 50ग्राम /राजमा- चावल बिस्कृट चावल खीर मॅ्गफली रोटी पापड़, सलाद अचार

#### नोट-

2. रात्रि भोजन के साथ एक पीस मूँग पापड़।

<sup>1.</sup> मीठा दूध 250 ग्राम फुल क्रीम (पैकेट) प्रातः नाश्ता में।

<sup>3.</sup> सलाद में प्याज, खीरा, ककडी, हरी मिर्च आदि देय होगा।

<sup>4.</sup> दाल छोकर्ने में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च हींग एवं जीरे का प्रयोग अनिवार्यतः किया जायेगा। प्रत्येक दाल में हींग की मात्रा थोड़ी अधिक रखी जायेगी।

भोजन आई.एस.आई./एगमार्ग रिफाइन्ड ऑयल में बनाया जायेगा।

5—**कापी किताब की व्यवस्था**—समाज कल्याण विभाग द्वारा रा०आ०प०विद्यालय में संवासी छात्र व छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाती है। **कक्षा प्रति छात्र** 

(i) 06 से 08 तक 765 / 一 रू0

1500 / — रू0

(iii) 11−12 3000 / − ₹50

#### 6-ड्रेस की व्यवस्था- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं हेत् ड्रेस कोड निर्धारित है, जो निम्नवत है-

वर्ग	पेन्ट स्लेटी	पेन्ट शर्ट सफेद	शर्ट नीली चेकदार	जूता,मोजा	चप्पल
बालक	2 नग	1 नग	2 नग	2 जोड़ी	1 जोड़ी
बालिका	2 स्कर्ट	1 कुर्ता	2 नग कुर्ता	2 जोड़ी	1 जोड़ी

शीतकाल में मेसन कलर का ब्लेजर / फुल स्वेटर तथा एक छाया स्वेटर देय है। इसके अतिरिक्त छात्र—छात्राओं को ट्रेक सूट भी दिया जाता है एवं प्रत्येक को हाउस टी—शर्ट दी जाती है। संवासी छात्रों के प्रवेश के समय देय गद्दा, कम्बल, चादर तकिया व कवर दिया जाता हैं।

#### 7-विद्यालय में मानवीय संसाधन-

(ii)

9-10

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में मानवीय संसाधनों को तीन भागों में वितरित किया गया है:-

#### प्रधानाचार्य / शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी:-

क्र0	पदनाम	पदों पूर्व स्थिति	पदों की वर्तमान स्थिति
सं0			
1	प्रधानाचार्य	1 पद	1 पद
2	अधीक्षक	1 पद	समाप्त
3	सहायक अधीक्षक	1 पद	समाप्त
4	प्रवक्ता	5 पद	10 पद
5.	सहायक अध्यापक एल०टी०ग्रेड	5 पद	10 पद
6.	स0अ0(प्राथमिक)	5 पद	समाप्त
7	संगीत अध्यापक	1 पद	समाप्त
8	क्राफ्ट कला अध्यापक	1 पद	समाप्त
9.	मनोवैज्ञानिक स०अ०	1 पद	समाप्त
10	कला	1 पद	समाप्त
11	गृह माता	1 पद	1 पद

12.	फार्मासिस्ट / नर्स	1 पद	1 पद
13	लिपिक	3 पद	3 पद
14.	व्यायाम शिक्षक	1 पद	1 पद
15.	चतुर्थ श्रेणी	22 पद	7 स्थाई + 15 पद सेवाप्रदाता ऐजेन्सी
16.	कम्प्यूटर आपरेटर	_	1 पद– सेवाप्रदाता ऐजेन्सी

**छात्र—छात्राएँ**—राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में संवासी छात्र / छात्राओं की संख्या 490 निर्धारित की गई। जिसमें प्रत्येक कक्षा के 2 सेक्शन होगे व प्रत्येक सेक्शन में 35—35 छात्र होंगें इसमें 60 प्रतिशत अनुसूचित 25 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य जाति से छात्र / छात्राओं को प्रवेश दिया जाता हैं।

#### 8-स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाऐं-

संवासी छात्र / छात्राओं के प्राथमिक उपचार हेतु विद्यालय में डिस्पेन्सरी होती है जो विद्यालय में नियुक्त फार्मासिस्ट की देख रेख में संचालित होती है। जिला अस्पताल / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी०एम०ओ०) द्वारा विद्यालय के लिए डाक्टर को नामित करा लिया जाता है।

चिकित्सक द्वारा विद्यालय में रह रहे बच्चों का साप्ताहिक परीक्षण किया जाता है, और बीमार बच्चों को समुचित इलाज दिया जाता हैं इसे उ०प्र० शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में त्रिमासिक स्वास्थ्य परीक्षण जिला अस्पताल के पैनल द्वारा दिया जाता है।

#### 9-खेल सम्बन्धी-

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में छात्र—छात्राओं के लिए खेल—कूद की व्यवस्था कर उनके लिए निर्धारित समय सारणी रहती है। जिसमें निर्धारित समय पर इन्डोर व आउटडोर खेल की अलग—अलग व्यवस्था की गई है। खेल—सामग्री संवासी छात्र—छात्राओं को संस्था की ओर से उपलब्ध कराई जाती है।

#### 10-पाठ्य सहगामी क्रियायें :--

विद्यालयों में पठन—पाठन के साथ—साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप विद्यालय के कार्य सुचारू रूप से सम्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ये क्रियायें पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है अतः इनके संगठन हेतु उचित ध्यान देना अपेक्षित है। वस्तुतः पाठ्य सहगामी क्रियायें छात्रों में उचित अभिवृत्तियों, आदतों एवं आदर्श आचरण हेतु सकारात्मक साधन है। इन क्रियाओं की उत्पत्ति बालकों की स्वाभाविक रूचियों से होती है। अतः उन्हें विद्यालय के पाठ्यक्रम को सजीव एवं सम्पन्न बनाने का स्रोत माना जाता है। पहले इन क्रियाओं को पाठ्यान्तर (Extra Curricular) क्रियाओं के रूप में माना जाता था, लेकिन अधुनिक शिक्षा जगत में शिक्षाविदों का दृष्टिकोण परिवर्तित हो चुका है। अब इन क्रियाओं को अतिरिक्त (Extra) नहीं माना जाता है, बिद्यालय केवल सूचना केन्द्र नहीं है, अपितु उसका उद्देश्य चित्र निर्माण करना है। इस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियायें बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अनेंक अवसर प्रदान करती है। अतः आज इन्हें सैद्धान्तिक विषयों की तुलना में नगण्य नहीं माना जाता, बित्क उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाता है।

विद्यालय में विधिवत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जाता है।

#### 11- स्मार्ट क्लास का संचालन-

स्मार्ट क्लास का संचालन सत्र 2017-18 से सुचारू रूप सें किया जा रहा है।

#### 12— कम्प्यूटर क्लास का संचालन— सत्र 2019—20 से कम्प्यूटर लैव संचालित हो गयी है।

#### पुस्तकालय अध्यक्ष के कार्य एंव उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में।

किसी भी संस्था का पुस्तकालय वहाँ के प्रभावी ढंग से सम्पादित करानें में तथा पढने की आदत का विकास करनें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये पुस्तकालय अध्यक्ष का विषयवार पुस्तकों को संग्रहीत करना महत्वपूर्ण दायित्व है।

- विद्यालय की पुस्तकों को रजिस्टर में व्यवस्थित करना।
- एक्सेसन रजिस्टर में विषयवार लिपिवद्ध करना।
- पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्रों छात्रोपयोगी पत्र पत्रिकाओं को व्यवस्थित करना।
- छात्रों को पुस्तक समीक्षा के लिये प्रेरित करना व मार्गदर्शन देना तथा उन्हे दीवार पत्रिका के लिये प्रोत्साहति करना।
- छात्रों के लिये व्यवसायिक एंव शैक्षिक मार्ग निर्देशन सम्बन्धी पुस्तकों एंव पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था करना तथा विशेषज्ञों के भाषण एंव लेक्चर आयेजन करना।
- वे समस्त कार्य संस्थाध्यक्ष / प्रधानाचार्य / विभाग द्वारा निर्धारित है।

#### सदनाध्यक्ष गठन के सम्बन्ध में:--

सदन के प्रबन्ध— आवासीय विद्यालयों में सुदृढी आवासीय व्यवस्था देने के लिये विभिन्न सदनों का निर्माण किया गया है, और प्रत्येक सदन के देखरेख के लिये सदनाध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त किये गये है। विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 8 तक किनष्ठ सदन तथा 9 से 12 तक विरष्ठ सदन बनाये गये है। इस दृष्टिकोण से 4 सदन इस प्रकार होगें।

#### सदन के नाम-

	बालक वर्ग		
सदन का नाम	झंडे का रंग		
सुभाषचन्द्र बोस सदन	लाल		
चन्दशेखर आजाद सदन	पीला		
अम्बेडकर सदन	नीला		
अब्दुल कलाम सदन	हरा		

सभी सदनों के लिये सदनाध्यक्ष एंव सह सदनाध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं, सदनाध्यक्षों की कार्याविध शैक्षणिक समय के अनुरूप ही रखी गयी है। साथ ही छात्रों के खान पान के तौर तरीकों को सुव्यवस्थित करने के लिये छात्रावास के लिये सदन प्रभारियों को जिम्मेंदारी दी गयी है, तथा मध्यान्ह भोजन छात्रों के साथ करनें हेतु निर्देश दिये जाते है।

सदन व्यवस्था को समुचित एंव सुदृढ बनाने के लिये छात्रों को जिम्मेदारियाँ दी गयी है जैसे— सभी सदनो में दो सदन नायक, उपसदन नायक तथा सदन प्रीफेक्ट, नियुक्त किये गये है, तथा उनकी पहचान के लिये बैच उपलब्ध करायें जायेगें। उपर्युक्त के अतिरिक्त विद्यालय कैप्टन एक, विद्यालय उपकैप्टन एक बालक विद्यालय में नियुक्त किये गये है।

सदन कैप्टन, सदन उपकैप्टन, सदन प्रीफेक्ट अपने अपने सदनाध्यक्ष के दिशा निर्देशन में कर्तव्य उत्तरदायित्वों का निर्धारण करके सदनाध्यक्षों को सदन के सफल संचालन हेतु सहयोग करेगें।

विद्यालय कैप्टन और उपकैप्टन सभी सदनाध्यक्षों तथा संस्थाध्यक्ष के दिशा निर्देशन में अपने कर्तव्यों एंव दायित्वों का पालन करके सदन व्यवस्था विद्यालय के अनुशसान व्यवस्था को बनाये रखनें में सहयोंग करेंगें।

#### सदनाध्यक्ष एंव सहसदनाध्यक्ष के कर्तव्य एंव दायित्व-

आवासीय विद्यालयों में सदनाध्यक्ष एंव सहसदनाध्यक्ष के उत्तरदायित्व का निर्वाहन उसी भावना के साथ जाए जिस तरह सं माता–पिता एंव अभिभावक अपने बच्चों के साथ प्रेम एंव स्नेह का व्यवहार करते है, फिर भी दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन हेत् अवाश्यक दिशा निर्देश इय प्रकार निर्धारित होगें–

- सदनाध्यक्ष प्रातःकाल एंव रात्रि के समय अपने सदन के छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगें।
- सदन कर नियमित रूप से भ्रमण / निरीक्षण करेगें।
- सदन में साफ सफाई विशेष रूप से शौचालय आदि की साफ सफाई, पानी की नियमित उपलब्धता एंव छात्रों के रहने की व्यवस्था आदि में छात्रों को समय समय पर मार्ग निर्देशन देगें।
- सदनाध्यक्ष / सहसदनाध्यक्ष छात्रों के साथ सुबह, दोपहर, एंव रात्रि कालीन भोजन में उपस्थित रहेगें तथा छात्रों के भोजन के लिये साफ सफाई के साथ भोजन में प्रयुक्त होने वाले थाली, चम्मच आदि तथा भोजन के तौर तरीके टेबल मैनर को सिखाने में मदद करेगें।
- छात्रों के अस्वस्थ होने की स्थिति में उपचार की व्यवस्था कराने में यदि आवश्यक हो तो निकटस्थ चिकित्सालय को स्टाफ कम्पाउन्डर के साथ भेजने में सहयोग करेगें।
- छात्रों के सर्वागीण विकास के लिये समय समय पर छात्र से सम्बन्धित विषय शिक्षक व उनके अभिभावको सं विचार विमर्श करेगें। छात्र की शैक्षिक प्रगति के लिये अपना योगदान देगें।
- पाठ्य सहगामी क्रियाओ एंव खेलकुद में सहभागिता के लिये छात्रों का चयन करेगें,प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश देगे, तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेगें।
- छात्रों का सुरक्षा एंव संरक्षा के लिये विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का पालन करेगें।
- समय समय पर छात्रों के साथ सदन की बैठक सुनिश्चित करेगें एंव मेस मेन्यू इत्यादि के निर्धारण में अपना सहयोग करेगें।
  उक्त वर्णित कर्तव्यों एंव उत्तरदायित्वों का निर्वाहन किया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

### छात्र प्रतिज्ञा (हिन्दी)

श्भारत हमारा देष है। हम सब भारतवासी भाई बहन है। हमें अपना देष प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता—पिता, षिक्षकों एंव गुरूजनो का सदा आदर करेंगें तथा सबके साथ षिश्टता का व्यवहार करेंगें। हम अपने देष और देषवासियों के प्रति सदैव निश्ठावान रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण एंव समृद्धि में हमारा सुख निहित है।श

### छात्र प्रतिज्ञा (अंग्रेजी में)

"India is my country. All Indians are my brother & sister. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall pay respect to my parents, teachers, class-mates and all elders and treat every one with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well being and prosperity alone lies my happiness."

क्र0सं0	क्रिया कलाप		
01	सदनवार / कक्षावार उपस्थिति	2 मिनट	
02	प्रार्थना गीत	3 मिनट	
03	ध्यान योग्य	1 मिनट	
04	छात्र वाचन	3 मिनट	
05	राष्ट्रगान	52 सेकेण्ड	
06	छात्र प्रतिज्ञा	1 मिनट	
07	आज का विचार	1 मिनट	
08	समाचार वाचन	3 मिनट	
09	प्रधानाचार्य / सीनीयर प्रवक्ता का उद्बोधन	2 मिनट	

नोट— प्रार्थना गीत और राश्ट्रगान को छोड़कर प्रातःकालीन सभा सप्ताह में तीन दिन हिन्दी भाशा में तथा तीन दिन अंग्रेजी भाशा में आयोजित की जायेगी।

विद्यालय समिति:— शासनादेश संख्याः—114/2015/आर-110 वी.आई.पी./26-3-2015-246 सी.एम./2015 दिनांक—06.10.2015 नवोदय विद्यालय की भाँति आश्रम पद्धति विद्यालय के सुचारु रुप से संचालन के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित की जायेगी। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार अथवा तीन माह में एक बार अनिवार्य रुप से होगी। समिति निम्नवत् होगीः—

क्र0स0	पदनाम	समिति में स्थिति
1-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3-	मुख्य चिकित्सकाधिकारी	सदस्य
4—	मण्डलीय उप निदेशक समाज कल्याण	सदस्य
5—	प्रचार्य जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
6-	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
7—	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8-	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक महिला पुरुष अभिभावक	सदस्य
9—	विद्यालय का वरिष्ठम शिक्षक	सदस्य
10-	सम्बंन्धित आश्रम पद्धति विद्यालय के प्रधानाचार्य	सदस्य / सचिव

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष क्रय एवं व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध समिति प्रत्येक आश्रम पद्धित विद्यालय के वार्षिक बजट को अंतिम रूप देगी तथा लघु निर्माण कार्य की स्वीकृति देने हेतु अधिकृत होगी। यह समिति प्रस्तावित वृहद् निमार्ण कार्यों की सस्तुति अपर निदेशक समाज कल्याण को प्रेषित करेगी। शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक सुझावो पर विचार कर निर्णय लेने हेतु भी यह समिति सक्षम होगी। जनपद स्थित आश्रम पद्धित विद्यालयों के दैनिक कार्यों के संपादन हेतु प्रधानाचार्य सक्षम होगे, लेकिन शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के सबंध में प्रधानाचार्य द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार जिलाधिकारी अध्यक्षता में गठित उक्त समिति को होगा।

किया—कलाप	समय
	N 14
प्रातःजागरण	6.00 प्रातः
नित्य किया	6.00 से 6.30 पूर्वान्ह
योग / व्यायाम	6.30 से 7.15
स्नानादि	7.15 से 7.45
प्रातःकालीन नाष्ता	7.45 से 8.30
स्व-अध्ययन / सेल्फ स्टडी	8.30 से 9.30
प्रार्थना	9.40 से 10.00
प्रथम कालांष	10.00 से 10.35
द्वितीय कालांष	10.35 से 11.10
तृतीय कालांष	11.10 से 11.45
चतुर्थ कालांष	11.45 से 12.20 अपरान्ह
मध्यान्ह् भोजन	12.20 से 1.40
पॉचवां कालांष	1.40 से 2.15
छठा कालांष	2.15 से 2.50
सातवां कालांष	2.50 से 3.25
अष्टम कालांष	3.25 से 4.00
षून्य कालांष / उपचारात्मक अध्ययन	4.00 से 5.00
खेलकूद/उपस्थिति/सायंकालीन नाष्ता	5.00 से 6.00
सांयकालीन दैनिक क्रियायें	6.00 से 6.45
पर्यवेक्षण अध्ययन	6.45 से 8.00सांय
भोजन / मनोरंजन	8.00 से 9.00
स्व-अध्ययन	9.00 से 10.00
षयन काल	10.00 से 5.00

किया—कलाप	समय
प्रातःजागरण	5.00 प्रातः
नित्य किया	5.00 से 5.30 पूर्वान्ह
योग / व्यायाम	5.30 से 6.15
स्नानादि	6.15 से 6.45
प्रातःकालीन नाष्ता	6.45 से 7.30
प्रार्थना	7.30 से 7.50
प्रथम कालांष	7.50 से 8.25
द्वितीय कालांष	8.25 से 9.05
तृतीय कालांष	9.05 से 9.40
चतुर्थ कालांष	9.40 से 10.15
ब्रेक	10.15 से 10.30
पॉचवां कालांष	10.30 से 11.05
छठा कालांष	11.05 से 11.40
सातवां कालांष	11.40 से 12.15
षून्य कालांष/उपचारात्मक अध्ययन	12.15 से 12.55
मध्यान्ह भोजन व विश्राम	12.55 से 5.00
खेलकूद / उपस्थिति	5.00 से 6.00
सांयकालीन दैनिक कियायें	6.00 से 6.45
पर्यवेक्षण अध्ययन	6.45 से 8.00सांय
भोजन / मनोरंजन	8.00 से 9.00
स्व—अध्ययन	9.00 से 10.00
षयन काल	10.00 से 5.00

# राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, काँधनी, इटावा।

## पुस्तकालय समय सारणी

क्र.स.	दिन	समय 04 से 05 PM बजे तक	समय 07 से 08 PM बजे तक
1	सोमवार	Room No- 2,3, 4, व 5	Room No-B1 7, 8
2	मंगलवार	Room No- 9,10, व 11	Room No-12, 13, व 14
3	बुधवार	Room No- 16,17, व 18	Room No- 19, 20, व 21
4	गुरुवार	Room No-23, 27, व 28	Room No- A1 29, व 30
5	शुक्रवार	Room No- 31, 32, व 33	Room No- 35, 36 व 34
6	शनिवार	Room No-37, 39, व 40 ,	Room No-41 42, 43 व अन्य
7	रविवार	अवकाश	अवकाश

नोट पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए सायं 8 बजे से 8:30 तक समय निर्धारित है।

षिक्षित भारत- समृद्ध भारत।

रामकृपाल पुस्तकालय प्रभारी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय डॉ0 निर्मल चन्द्र वाजपेयी प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

## प्रगति रिपोर्ट

समाज कल्याण विभाग उ०प्र० द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धित विद्यालय काँधनी,इटावा की स्थापना 21जनवरी 2011 को हुई। सन् 2011 से 2015 तक माध्यमिक षिक्षा परिशद उत्तर प्रदेष प्रयागराज द्वारा संचालित था। उत्तर प्रदेष सरकार स्विच ओवर करते हुए सन् 2016 से केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा संचालित हो रहा है। प्रगति निम्नवत है—

#### विद्यालय का विगत तीन वर्शों का परीक्षा परिणाम

क्र0स0	सत्र	कक्षा	परीक्षा परिणाम प्रतिषत
1	2020—21	10	100
2	2021-22	10	100
3	2022-23	10	94
4	2020—21	12	100
5	2021—22	12	100
6	2022-23	12	93.33

### विद्यालय में पंजीकृत छात्रों का विवरण-

क्र0स0	कक्षा	कुल क्षमता	पंजीकृत छात्र
1	6	70	61
2	7	70	65
3	8	70	68
4	9	70	70
5	10	70	59
6	11	70	61
7	12	70	45
	कुल योग	490	429

#### स्मार्ट क्लास का संचालन-

स्मार्ट क्लास का संचालन सत्र 2017-18 से सुचारू रूप सें किया जा रहा है।

### कम्प्यूटर क्लास का संचालन-

सत्र 2019-20 से कम्प्यूटर लैव संचालित हो गयी है।

#### टैब लैब क्लास का संचालन-

सत्र 2023-24 से टैब लैब संचालित हो गयी है।

### मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिग का संचालन-

सत्र 2023—24 से मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिग उप केन्द्र स्थापित होकर संचालित हो गया है। जिसमें विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11व 12 विज्ञान वर्ग के छात्रों को जेईई व नीट की तैयारी कराई जा रही है।

#### खेल सम्बन्धी प्रगति-

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में छात्र—छात्राओं के लिए खेल—कूद की व्यवस्था कर उनके लिए निर्धारित समय सारणी रहती है। जिसमें निर्धारित समय पर इन्डोर व आउटडोर खेल की अलग—अलग व्यवस्था की गई है। खेल—सामग्री संवासी छात्र—छात्राओं को संस्था की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता डिसकस थ्रो में शिवम, ऊँची कूद में प्रशांत सिंह व 400 मी0 दौड में विजय प्रताप प्रतिभाग किया।

#### पाठ्य सहगामी क्रियायें :--

विद्यालयों में पठन—पाठन के साथ—साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप विद्यालय के कार्य सुचारू रूप से सम्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ये क्रियायें पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है अतः इनके संगठन हेतु उचित ध्यान देना अपेक्षित है। वस्तुतः पाठ्य सहगामी क्रियायें छात्रों में उचित अभिवृत्तियों, आदतों एवं आदर्श आचरण हेतु सकारात्मक साधन है। इन क्रियाओं की उत्पत्ति बालकों की स्वाभाविक रूचियों से होती है। अतः उन्हें विद्यालय के पाठ्यक्रम को सजीव एवं सम्पन्न बनाने का स्रोत माना जाता है। पहले इन क्रियाओं को पाठ्यान्तर (Extra Curricular) क्रियाओं के रूप में माना जाता था, लेकिन आधुनिक शिक्षा जगत में शिक्षाविदों का दृष्टिकोण परिवर्तित हो चुका है। अब इन क्रियाओं को अतिरिक्त (Extra) नहीं माना जाता है, बिद्यालय केवल सूचना केन्द्र नहीं है, अपितु उसका उद्देश्य चित्र निर्माण करना है। इस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियायें बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अनेंक अवसर प्रदान करती है। अतः आज इन्हें सैद्धान्तिक विषयों की तुलना में नगण्य नहीं माना जाता, बल्क उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाता है।

विद्यालय में विधिवत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जाता है।

# <u>राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, काँधनी, इटावा।</u> प्रगति रिपोर्ट 2023



माननीय श्री लक्ष्मी नारायन चौधरी मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ०प्र०सरकार / प्रभारी मंत्री जनपद इटावा द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29 / 08 / 2023 प्रगति विवरण।